राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:–136/2019
पीठासीन अधिकारी– रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण:–

1. हडमानराम पुत्र सिदाराम
2. देवाराम पुत्र सिदाराम
3. नेनाराम पुत्र सिदाराम
4. मुलाराम पुत्र जसाराम जातियान जाट निवासी रिडमलसर तहसील बापिणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. भेराराम पुत्र तेजाराम
2. रामूराम पुत्र तेजाराम
3. लालुराम पुत्र चैनाराम
4. तुलछाराम पुत्र चेनाराम
5. अर्जुनराम पुत्र चैनाराम
6. आदराम पुत्र चेनाराम
7. रतनाराम पुत्र चैनाराम
8. सीमाराम पत्र मूलाराम
9. अलसीराम पुत्र मूलाराम जातियान जाट निवासी रिडमलसर तहसील बापिणी जिला जोधपुर।
10. टीकूराम पुत्र दमाराम
11. मोटाराम पुत्र दमाराम
12. जसूराम पुत्र दमाराम
13. मूलाराम पुत्र घमण्डाराम
14. गोमदराम पुत्र घमण्डाराम
15. जेठाराम पुत्र घमण्डाराम
16. कालूराम पुत्र घमण्डाराम
17. स्वरूपाराम पुत्र घमण्डाराम
18. मदनलाल पुत्र घमण्डाराम
19. किसनाराम पुत्र जेठाराम
20. लादुराम पुत्र जेठाराम
21. तेजाराम पुत्र जेठाराम
22. मंजू पुत्री जेठाराम
23. संतोष पत्नि कालूराम जातियान मेघवाल निवासी रिडमलसर तहसील बापिणी जिला जोधपुर।
24. तहसीलदार, बापिणी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:05 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति:–

1. श्री राजेश खीचड प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री दिनेश मदेरणा अप्रार्थीगण की ओर से।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक–23.10.2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1074 रकबा 62.09बीघा व प्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1074/1 रकबा 62.09 बीघा भूमि ग्राम रिड़मलसर में आई हुई है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि की चारों तरफ कणे माठ कायम कर रखी है जो लम्बे समय से विद्यमान है, जिनके बीच प्रार्थीगण शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के दक्षिणी दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ग्राम रिड़मलसर के खसरा नम्बर 1073 की भूमि आई हुई, पूर्वी दिशा में अप्रार्थी संख्या 13 से 23 की ग्राम रिड़मलसर के खसरा नम्बर 1076 तथा अप्रार्थी संख्या 10से 12 की ग्राम मोतीनगर के खसरा नम्बर 942 की भूमि आई हुई है, उत्तरी दिशा में अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की ग्राम मोतीनगर के खसरा नम्बर 1063 की भूमि आई हुई है तथा पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी संख्या 3 से 7 की ग्राम मोतीनगर के खसरा नम्बर 1067 की भूमि स्थित है, प्रार्थीगण की भूमि में अप्रार्थीगण हर वक्त दखलंदाजी करते रहते है तथा प्रार्थीगण को अपनी भूमि की चारों और कणा माठ पर तारबंदी इत्यादि नहीं करने दे रहे है, जिस वजह से प्रार्थीगण को अनावश्यक रूप से परेशानी हो रही है, जिससे प्रार्थीगण की भूमि आवारा पशु इत्यादि आकर प्रार्थीगण के खेत की फसल को नुकसान पहुंचाते है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत से अपनी और से सीमा पर कणा माठ आदि की सीमा को तोड़कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। अतः प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1074 रकबा 62.09 बीघा व खसरा नम्बर 1074/1 रकबा 62.09 बीघा मौजा ग्राम रिड़मलसर की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा सीमाऐं कायम करवाई जावे व आदेश की पालना अप्रार्थी संख्या 24 से करवाई जावे और साथ ही पुलिस थाना,भोजासर के एस.एच.ओ. को पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलवाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उभय पक्ष बहस सुनी गई। पक्षकारान ने अपनी बहस मे बताया कि पौराणिक माठ पर उभय पक्षकारों के कब्जे मे बिना दखलंदाजी किए सीमाज्ञान कर पत्थर गढी की जावे तो कोई एंतराज नहीं है।

अतःहमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया, जिस अनुसार हमारा विनिश्चिय यह है कि मौजा रिड़मलसर के खसरा नम्बर 1074 रकबा 62.09 बीघा व खसरा नम्बर 1074/1 रकबा 62.09 बीघा की पत्थरगढ़ी मौके पर कोई विवाद नहीं हो, शांति भंग का अंदेशा न हो तो की जावे। कब्जा हस्तान्तरण [illegible] थाना अधिकारी, पुलिस थाना, भोजासर से जाब्ता प्राप्त करें। तदनुसार तह[illegible]पिणी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.20[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:05 IST
Reason: SelfAttested

(रतनलाल रेगर)
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर, कोलायत

Scanned by CamScanner